<u>न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)</u>
अपील संख्याः– 12/202/2019

<u>अपीलार्थीः–</u>	<u>प्रत्यर्थीः–</u>
शुभराम पुत्र रामचन्द्र ग्राम पो0 कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर।	प्रथम अपीलीय अधिकाकरी (उप खण्ड अधिकारी) बहरोड जिला अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: <u>निर्णय</u> ::–– <u>दिनांकः– 06.01.2020</u>

1. अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दिनांक 25.10.2019 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् अपीलीय अधिकारी उप खण्ड अधिकारी बहरोड को कार्यालय के नोटिस पत्रांक 1826 दिनांक 3.12.19 एवं पत्रांक 1895 दिनांक 31.12.19 के द्वारा जवाब पेश करने हेतु लिखा गया था–किन्तु अपीलीय अधिकारी उप खण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित बिन्दूओं उपलब्ध नही कराई गयी है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जो गारंटी अधिनियम–2011 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है किया कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें, साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र के अनुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
6. प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्व पेश होने वाली अपीलों में नोटिस जारी करने के पश्चात् उनके यहॉ से ना ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है और ना ही नोटिस का जबाव प्राप्त होता है,

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

नोटिस का जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में प्रायः अपीलें स्वीकार करनी पडती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त अपीलों में जारी नोटिस के उपरान्त जबाव प्रस्तुत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
8. निर्णय आज **दिनांक 06.01.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलेक्टर,अलवर
जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)